


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 055242



— हम गुरदीप सिंह एवं सरनजीत कौर कमल चोपरनैन एवं ट्रस्टी गुरु नानक चैरिटेबल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट शपथ पूर्णक बयान करते हैं।

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा गुरु नानक फार्मसी कॉलेज उमरपुर खादर स्पीडारा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम उमरपुर खादर तहसील धामपुर में गाटा संख्या 236 रकबा हेक्टेयर(कुल रकबा 1.225 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है। और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 236 रकबा हेक्टेयर (कुल रकबा 1.225 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02/01/2020 द्वारा पारित किया गया।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों का ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मती काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मती संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मती काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मती काउन्सिल ऑफ इण्डिया, दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिषद / विद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आईआईआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षाएं, कमरे, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि का फार्मती काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भक्तिपूर्वक पालन करूंगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में गम्भीरानुसार कोई भी कमी पायी जाती है। तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी में अशुद्धता / दस्तावेज कमी, कूटचिंत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा विधमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

Sarajit Singh

80 इस्टी



Sworn before me on this day of 30 September 2021 by Sarajit Singh who has been identified to me who is personally known to me and whose original name is Sarajit Singh.

30/09/2021